

Revenue and Expenditure of two Rajdhani Express Trains

1572. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the total amount of revenue and expenditure for the years 1976-76, 1976-77 and 1977-78 of the two Rajdhani Express Trains Bombay to New Delhi and Calcutta to New Delhi; and

(b) whether there is any proposal under consideration of Government to make the said trains more profitable and also proposal for providing more amenities in the said trains?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

गुजरात में नसबन्दी

1573. श्री जीतू भाई नावित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 से दिसम्बर, 1978 के दौरान गुजरात में प्रत्येक जिले में कितने व्यक्तियों की नसबन्दी की गयी है और इस कार्य पर कितनी राशि खर्च हुई;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इसमें से कितनी धनराशि दी;

(ग) क्या यह सच है कि प्रेरणा के लिये राशि बढ़ाने की व्यवस्था किये जाने से अधिक लोग नसबन्दी के प्रति आकर्षित हो रहे; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रेरणा राशि की बढ़ावा जायेगा और यदि हां, तो कितना और इस प्रयोजन के लिये दी जाने वाली अन्य सुविधाओं का व्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राव): (क) मार्च, 1977 से दिसम्बर, 1978 तक गुजरात राज्य में जिन व्यक्तियों की नसबन्दी आपरेसन किये गये, उनकी विस्तारित सूचना का एक विवरण संलग्न है :—

इस पर विवेचार कितना व्यय हुआ, इस की कुलमत उपलब्ध नहीं है। वैसे, 1-3-77 से 30-6-77 के दौरान स्पेसल से नसबन्दी आपरेसन करवाने पर येन मुआवजे की दरें अनुबन्ध 2 में दी गई हैं तथा की गई गहरी जुलाई, 77 से दिसम्बर, 78 की अवधि के बीच येन बी, बी सीबी दी गई हैं :—

पुरुष नसबन्दी	100.00 रुपये
महिला नसबन्दी	120.00 रुपये

(ख) गुजरात सरकार की मुआवजे की राशि तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू करने के लिये कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई, वह इस प्रकार है :—

रूपये लाखों में

अवधि	बी गई कुल सहायता	मुआवजे की राशि
	रूपये	रूपये
1977-78	505.92	120.00
1978-79 (दिसम्बर 78 तक)	420.40	106.00

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में नीति यह है कि सरकार को प्रत्येक नसबन्दी आपरेसन करवाने वाले स्वीकारकर्ता को उस की मजदूरी के नुकसान तथा अन्य प्राथमिक खर्च की पूर्ति करनी पड़ती है। नसबन्दी आपरेसन करवाने में, बर्तमान तक भारने जाने का खर्च, अस्पताल में कुछ समय रुकने के परिणामस्वरूप उसे होने वाला मजदूरी का नुकसान भी शामिल है, जिसे अधिकार लोग आसानी से सहन नहीं कर सकते हैं। नसबन्दी आपरेसन करवाने वाले व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 70.00 रुपये (सत्तर रुपये) की राशि दी जाती है। इस के प्रतिरिक्त आपरेसन मुक्त किया जाता है तथा इस आपरेसन के कारण यदि कोई जटिलता हो जाए तो उस का इलाज भी मुक्त किया जाता है। स्वीकारकर्ता को आहार तथा परिचर की सुविधाएँ भी मुक्त जुटाई जाती हैं। पूर्ण मुआवजे की ये दरें केवल पहली जुलाई, 77 से ही लागू की गई थीं, इसलिये इस समय इन में संशोधन करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि इन्हें पर्याप्त समझा जाता है।

उपर्युक्त मुआवजे के अलावा, कुछेक राज्य सरकारों/संव्यक्त क्षेत्रों ने स्वीकारकर्ताओं, मेडिकों, नर्सों तथा केन्द्रीय कार्यकर्ताओं, आदि की अपने संसाधनों से विशेष प्रोत्साहन देने की व्यवस्था किये हैं।